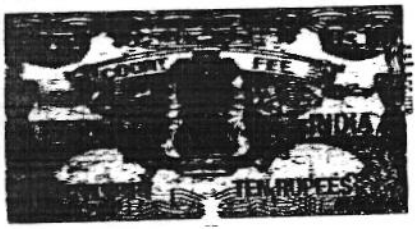

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय,

निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/0015

राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0

मंहत अशोकपुरी गुरू मंहत अमरपुरी आयु–66वर्ष,

व्यवसाय– सन्यासी निवासी माईजी का मठ छत्रीपुल

रतलाम म0प्र0 ...प्रार्थी

विरूद्ध

शासन द्वारा [redacted] कस्बा पटवारी रतलाम म.प्र. ...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंर्तगत धारा 50 भू0रा0स0 1959

निगरानी बनाराजगी श्रीमान राजस्व निरिक्षक वृत्त क02 रतलाम शहर तह0 व जिला रतलाम द्वारा दिनांक 29.10.2017 पंचनामा के आधार पर भुमि सर्वे कमांक 109, रकबा 0.290हे., 110 रकबा 0. 310हे. में पंचनामा अन्य सर्वे क0 सहित बनाया गया जो बिना किसी विधि अनुसार सूचना व पड़ोसी भुमि स्वामी को सूचित किए बिना बनाया गया जिसके आधार पर एक प्रतिवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय नजुल को कमांक 1298/जांच/2017 के आधार पर एक प्रतिवेदन प्रेषित किया जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है ।

कैम्प उज्जैन पर प्राप्त 22/12/17

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नवत निगरानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है :–

निगरानी का विवरण

1—

XXIX(a)-BR(H)-11

(33)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/0015

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	